

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 487 / गोपनीय / 2017
दो-3-1 / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री साबिर अहमद खान	मुरैना	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आलोक कुमार सक्सेना के स्थान पर।

क्रमांक 488 / गोपनीय / 2017
दो-3-1 / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अभिषेक गोयल	सेवदा	हनुमना	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-हनुमना, जिला रीवा की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।

टिप्पणी :-

- आदेश क्रमांक 458 / गोपनीय / 2017, दिनांक 10 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री सुशील कुमार, पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का, इंदौर से रतलाम, स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे।



2. आदेश क्रमांक 467/गोपनीय/2017, दिनांक 11 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री राजेश जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सेवदा, जिला दतिया का, सेवदा (दतिया) से हनुमना (रीवा), स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे। उक्त आदेश के तारतम्य में, श्री लवकेश सिंह को "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सेवदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।" पदस्थ किया जाता है।

क्रमांक 489 /गोपनीय/2017
दो-3-1/2017 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुश्री रोहिणी तिवारी	लौंडी	जबलपुर	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के स्थान पर।

टिप्पणी :- सुश्री रोहिणी तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, लौंडी जिला छतरपुर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक 490 /गोपनीय /2017
दो-3-1/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017


प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- प्रधान महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- महालेखाकार (2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- श्री साबिर अहमद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुरैना,
- श्री अभिषेक गोयल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेवदा जिला दतिया,
- सुश्री रोहिणी तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, लौंडी जिला छतरपुर

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे की पदस्थापना के नए स्थान पर दिनांक 31-03-2017 अथवा उसके पूर्व अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।



- 4 श्री सुशील कुमार, पन्द्रवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर
- 5 श्री राजेश जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सेवदा, जिला दतिया,
- 6 श्री लवकेश सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छतरपुर,
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।
- 6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **मुरैना/ दतिया/ छतरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 31-03-2017 अथवा उसके पूर्व** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
- 7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **रतलाम/ रीवा/ जबलपुर/ इंदौर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8 **रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-**
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।**
- (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-2)/ (न्यायिक-1)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- (7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल
84